पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दीगर कार्यो मे व्यस्त है, मिसल इल्तवा होकर पत्रावली पुर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 21/4/22 को पेश हो।

21/4/22

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दीगर कार्यो मे व्यस्त है, मिसल इल्तवा होकर पत्रावली पुर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 27/6/22 को पेश हो।

27/06/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनु0। विपक्षीगण को सम्मन पुर्व मे Reg AD सहित पेश किये हुए। पत्रावली वास्ते जवाब हेतु पत्रावली आईन्दा दिनांक 18/08/22 को पेश हो। Kalbi

18/8/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। विपक्षीगण के सम्मन तामील शुदा प्राप्त होने के बावजूद भी कोई उप0 नहीं हुआ अत: उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थी वकील उक्त आवेदन पर बहस सुनने का निवेदन किया। प्रार्थी वकील की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिसमे स्पष्ट होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 15:10:10 IST
Reason: SelfAttested

हुक

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है।

अतः खेरवाम बन्दी आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 15:10:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी		विप्रार्थीगण
1. गंगाराम पुत्र अर्जनराम जाति जाट निवासी नेहरों का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	**बनाम**	1. खेताराम पुत्र गोकलाराम 2. गोगाराम पुत्र गोकलाराम 3. रामाराम पुत्र गुमनाराम 4. मानगाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी नेहरों का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थना **पत्र** अन्तर्गत **धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व** अधिनियम वास्ते नेखमबंदी **बाबत्।**

राजस्व आवेदन संख्या 237 / 2018

दिनांक : 18.08.2022

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सेड़वा के मौजा नेहरों का तला के खेत खसरा संख्या 417 / 308 रकबा 07.00 बीघा खसरा संख्या 418 / 308 रकबा 05.07 बीघा किस्म बारानी सोयम के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

दिनांक 18/08/2022

क्रमांक / भू.अ. / 2022 / 1771-76

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ—

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी गंगाराम पुत्र अर्जनराम।
3. विप्रार्थीगण खेताराम पुत्र गोकलाराम [illegible] / बीजराड / धोरीमन्ना।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेडवा / चौहटन / [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 15:10:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 237/2018 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

गंगाराम बनाम खेताराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थी वकील – जगदीश पोटलिया

निर्णय

दिनांक – 18.08.2022

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सेड़वा के मौजा नेहरों का तला के खेत खसरा संख्या 417/308 रकबा 07.00 बीघा खसरा संख्या 418/308 रकबा 05.07 बीघा किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार की तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सेड़वा के मौजा नेहरों का तला के खेत खसरा संख्या 417/308 रकबा 07.00 बीघा खसरा संख्या 418/308 रकबा 05.07 बीघा किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली [illegible] शामिल होकर दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 18.08.2022 [illegible] खुले परिसर में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 15:10:10 IST
Reason: SelfAttested

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा